न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी– डॉ गौरव सैनी, आई.ए.एस

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री पीर सिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत निवासी दानवाव तहसील आबूरोड जिला सिरोही राजस्थान पावर ऑफ एटर्नी होलडर जरिये हकमाराम पुत्र नवाराम जाति ग्रासिया निवासी क्यारी जायदरा तहसील आबूरोड जिला सिरोही		1. श्री हरिश चौधरी पुत्र स्व0 श्री बीरबल सिंह चौधरी जाति जाट निवासी आकराभटटा तहसील आबूरोड जिला सिरोही

राजस्व वाद संख्या 21/2016

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 13–01–2021

निर्णय

यह कि प्रार्थी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कथन किया कि प्रार्थी पीरसिंह पुत्र अचलसिंह, श्री हकमाराम पुत्र नवाराम जाति ग्रासिया निवासी क्यारी जायदरा तहसील आबूरोड जिला सिरोही का पावर ऑफ एटर्नी होल्डर होकर कृषि भूमि की देखरेख रखने कृषि कार्य करने तथा कृषि भूमि के संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर राजकीय कार्यालय में प्रार्थना पत्र देने न्यायालय में वाद/परिवाद वगैराह पेश करने अधिकृत किया गया है। पावर ऑफ एटर्नी होल्डर द्वारा पेश वाद श्री हकमाराम पुत्र नवाराम द्वारा पेश किया गया समझा जावेगा। वाद परिवाद वगैराह पेश करने अधिकृत किया गया है गांव दानवाव तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नम्बर 145 रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा किस्म–जाव 2 व चाही में से 7/280 हिस्सा करीब 10 बिस्वा पूर्व खातेदार श्री भेरा पुत्र अम्बा जाति ग्रासिया निवासी दानवाव तहसील आबूरोड जिला सिरोही राजस्थान ने जरिये पंजिकृत रजिस्टर्ड बेचाननामे से दिनांक 23 जून सन 2009 को प्रार्थी को विक्रय कर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी गांव दानवाव तहसील आबूरोड के खसरा नम्बर 145 में 7/280 हिस्सा करीब 10 बिस्वा का बतौर खातेदार स्वामी के रूप में स्थापित है। प्रार्थी ने अपने स्वामित्व खातेदारी की कृषि भूमि के पूर्व खातेदार श्री भेरा पुत्र अम्बा द्वारा प्रार्थी को सुपुर्द किए हिस्से के चारो ओर काटो की बाड कर कब्जा काश्त काबिज रहा है। वर्तमान मे प्रार्थी की उपरोक्त स्वामित्व खातेदारी की कृषि भूमि मे से 03 विस्वा कृषि भूमि ही हक हिस्से की रही है शेष 07 विस्वा कृषि भूमि को विक्रय की जा चुकी है। प्रार्थी पिछले करीब दो तीन वर्ष से अपने गांव क्यारी जायदरा तहसील आबूरोड गये होने से तथा अपनी पारिवारिक कारणों से उपरोक्त स्वमित्व खातेदारी की कृषि भूमि को देखरेख रखने नहीं आ सका है। प्रार्थी माह फरवरी सन 2015 में जब अपने स्वामित्व खातेदारी की कृषि भूमि पर आया तो 03 विस्वा कृषि भूमि के चारो ओर लोहे के कंटिले तारो की बाड की हुई देखकर आश्चर्य हुआ जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व खातेदारी की कृषि भूमि को स्वंय की भूमि में शामिल करते हुये चारो ओर लोहे के कंटिले तारो की बाड की गई है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से सम्पर्क कर प्रार्थी की उपरोक्त स्वामित्व खातेदारी की 03 विस्वा कृषि भूमि के चारो ओर लोहे के कंटिले तारो की बाड को हटा लेने का अप्रार्थी से निवेदन करने के बावजूद अप्रार्थी ने उक्त लोहे के कंटिले तारो की बाड को नही हटाया है। अप्रार्थी ने प्रार्थी के स्वामित्व खातेदारी की कृषि भूमि को [illegible] अवैद्य रूप से अतिक्रमण कर बिना विधिक प्राधिकार के अवैद्य कब्जे मे रखी है [illegible] प्रार्थी [illegible] की स्वामित्व खातेदारी की कृषि भूमि पर मात्र एक अतिक्रमी है [illegible] प्रार्थी [illegible] स्वामित्व खातेदारी की कृषि भूमि पर से अतिक्रमी अप्रार्थी [illegible] रूप से पूर्ण हक अधि[illegible]

हमने प्रकरण को दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये। अप्रा[illegible] जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनो को अस्वीकार किया। तथा कथन किया कि राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी का खसरा संख्या 145 मे 07 विस्वा हिस्सा था जो न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर आबूपर्वत द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 28/2007 अनवान नारायणी देवी व अन्य बनाम धर्मा राम व अन्य के निर्णय दिनांक 04.01.2012 के द्वारा बाद विभाजन खसरा संख्या 145/4 में प्रार्थी का 7/88 हिस्सा हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 10:03:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी पिछले करीब दो तीन वर्षो से अपने गांव दानवाव तहसील आबूरोड से अपने पारिवारीक कारणो से उक्त स्वामित्व खोतदारी की कृषि भूमि को देखरेख रखने नही आ सका हो । इसके जवाब मे अप्रार्थी की ओर से कथन किया कि प्रार्थी के तथाकथित पॉवर ऑफ एर्टोनी होल्डर की विवादित भूमि के पास ही स्थित खसरा संख्या 142, 143 मीन की कृषि भूमि एवं निवास स्थान स्थित है।

हमने उभय पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत आराजी ग्राम दानवाव पटवार क्षेत्र मानपुर तहसील आबूरोड के खसरा नंबर 145 रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि मे से 7/280 हिस्सा पूर्व खातेदार श्री भेरा पुत्र अम्बा जाति ग्रासिया निवासी दानवाव तहसील आबूरोड ने जरिये पंजिकृत रजिस्टर्ड बेचाननामे से प्रार्थी को विक्रय कर राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी गांव दानवाव के खसरा संख्या 145 मे 7/280 का बतौर खातेदार स्वामी के रूप मे स्थापित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौरान बहस कथन किया कि प्रार्थी खातेदार श्री हकमा राम का 7/88 हिस्सा अर्थात् 07 विस्वा कृषि भूमि ही केता गणेश राम मीणा कोदरला तहसील पिण्डवाडा को बेचान की है। शेष 03 विस्वा कृषि भूमि का हकमा राम खातेदार है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी का खसरा संख्या 145 मे 07 विस्वा हिस्सा था जो न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर आबूपर्वत द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 28/2007 अनवान नारायणी देवी व अन्य बनाम धर्मा राम व अन्य के निर्णय दिनांक 04.01.2012 के द्वारा बाद विभाजन खसरा संख्या 145/4 में प्रार्थी का 7/88 हिस्सा हुआ है। जिसका प्रार्थी द्वारा बेचान कर दिया गया है। एवं प्रार्थी ने स्वयं अप्रार्थी का कब्जा माना है। अतः वर्तमान मे प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है ही नही । ना ही प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषणीय नही होने से खारिज योग्य है।

आदेश

यह कि प्रार्थी प्रश्नगत आराजी ग्राम दानवाव पटवार क्षेत्र मानपुर तहसील आबूरोड के खसरा नंबर 145 रकबा 03 बिस्वा का ना तो रेकर्डेड खातेदार है और न ही मौके पर कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी अपूर्तनीय क्षति, सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण मे अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13-01-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ गौरव सैनी) I.A.S.
सहायक कलेक्टर,आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 10:03:04 IST
Reason: SelfAttested